न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गढ़ी (राज0)

पीठासीन अधिकारीः सुश्री अंजु शर्मा आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः 590/2016

उनवान

(1) मृतक कचरू पिता श्री हलिया डिण्डोर जाति आदिवासी निवासी पाराहेडा तहसील गढी जिला बांसवाडा के वारिसानः–

1/1. लाला पिता स्व0 श्री कचरू डिण्डोर जाति आदिवासी निवासी पाराहेड़ा तहसील गढ़ी।

–: वादी।

बनाम

(1) श्रीमती गौतम पुत्री कुरीया आदिवासी निवासी पाराहेडा तहसील गढी जिला बांसवाड़ा।

(2) शंकर पिता सोमा जाति आदिवासी निवासी पाराहेडा तहसील गढी जिला बांसवाड़ा।

(3) तहसीलदार, तहसील गढी जिला बांसवाडा।

–: प्रतिवादीगण।

वाद पत्र अन्तर्गत 88, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक 25.6.2024

वादी की ओर से प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के संयुक्त स्वामित्व मे पटवार हल्का पाराहेड़ा के मौजा पाराहेड़ा की जमाबन्दी संवत 2070–73 के खाता संख्या 100 (नया) 102 (पुराना) के सर्वे नम्बर 368 रकबा 0.02 हे0, सर्वे नम्बर 369 रकबा 0.14 हे0, सर्वे नम्बर 2077 रकबा 0.03 हे0, सर्वे नम्बर 2359 रकबा 0.06 हे0, सर्वे नम्बर 2363 रकबा 0.48 हे0, सर्वे नम्बर 3804 रकबा 0.07 हे0, सर्वे नम्बर 4996/366 रकबा 0.05 हे0, कुल किता 07 रकबा 0.85 हे0 भूमि दर्ज रिकार्ड होकर वादी अपने हिस्से पर कृषि कार्य करते हुए अपना एवं अपने परिवार का पोषण कर रहा है। वादी के पुत्र पुत्रीया भी करीब 60–65 वर्ष की उम्र के होकर पुत्र उसी के पास रह रहे है। प्रतिवादी नम्ब 01 व 02 ने आज से 08 रोज पुर्व वादी से कहा की तुम्हे वृद्धावस्था पेंशन मिल रही है इसलिए तुमको तहसील चलना पडेगा वहा तुम्हे रूपये मिलेंगे कह कर तहसील कार्यालय गढी लाकर प्रतिवादीगण ने वादी के हिस्से की सम्पूर्ण जमीन अपने नाम रजिस्ट्री करवा ली। जबकि वादी को भूमि विक्रय करने की कोई आवश्यकता नही है व उसका भरा पुरा परिवार है सम्पूर्ण खाता विक्रय करने की कोई आवश्यकता नही है परन्तु प्रतिवादीगण ने धोखे से उक्त भूमि का विक्रय पंजीयन करवा लिया है जिसका कोई मुल्य वादी को अदा नही किया गया है तथा मौके पर किसी प्रकार का कब्जा सुपुर्द नही किया गया है। यह कि प्रतिवादीगण द्वारा धोखे से उक्त भूमि का विक्रय पंजीयन दर्ज करवा लिया है पटवारी जब मौके पर आकर नामान्तरण की कार्यवाही के लिये कहने लगा तब प्रतिवादी को उक्त धोखाधडी की जानकारी होने से प्रतिवादी ने तहसीलदार गढी को प्रार्थना पत्र दिया परन्तु कोई कार्यवाही नही की गई। प्रतिवादी फर्जी विक्रय पंजीयन के आधार पर उक्त सम्पत्ति वादी से हडपने आमादा है जिस वजह से उसे जरिये स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाना आवश्यक है। इस हेतु वाद पत्र हस्ब धारा 188 रा.का.अ. के तहत पेश किया। प्रतिवादी के उक्त विक्रय पंजीयन की कानुनन कोई महीत्ता नही है जिस वजह से उक्त नामान्तरण दर्ज किया नही जा सकता है। अतः उक्त नामान्तरण रोके जाने हेतु प्रतिवादी नम्बर 03 को आदेशित किया जाना आवश्यक है। इस हेतु वाद हस्ब धारा 188 रा.का.अ. के तहत पेश किया। दौराने कार्यवाही यदि प्रतिवादी नम्बर 3 प्रतिवादी नम्बर 01 व 02 का नामान्तरण दर्ज करे तो उसे जरिये आज्ञापक आदेश निरस्त कर वादी को खातेदार घोषित किये

उपखण्ड अधिकारी
गढी, जिला बांसवाडा

27.9.22

जाने हेतु 88 रा.का.अ. के तहत वाद पेश किया। वाद कारण प्रतिवादी द्वारा मौके पर आकर नामान्तरण की कार्यवाही के लिए कार्यवाही करने से ज्ञात होने एवं रोकने बावजूद नही मानने से उत्पन्न हुआ है। प्रतिवादीगण को यदि नही रोका जाता है तो वादी अपनी सम्पत्ति की रक्षा नही कर पायेगा तथा उसे ऐसी क्षति होती जिसका रूपयों में मुल्यांकन संभव नही है एवं मामले में वाद बाहुल्यताए बढने की संभावना है। अतः वाद स्वीकार कर इस आशय की डिक्री फरमाने कि प्रतिवादीगण को वाद पत्र मे वर्णित वादी के हिस्से की भूमि को हडपने से रोंके जाने के आदेश फरमाने। प्रतिवादीगण वादी की उक्त भूमि में प्रवेश नही करे, अतिक्रमण नही करे न किसी अन्य से कराने हेतु वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम तहत् प्रस्तुत हुआ।

वादी की ओर से प्रस्तुत वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण के नाम सम्मन जारी किये जाने पर प्रतिवादीगण की ओर से श्री शिवलाल पुरी, अभिभाषक का वकालातनामा पेश होकर प्रतिवादीगण की तरफ से जवाब प्रस्तुत हुआ। दौराने कार्यवाही वादी कचरू को फौत होने पर वादी के वारिसान का कायम मुकाम होने के पश्चात् प्रकरण में निम्नानुसार तनकियात् कायम की गईः–

(1) आया पटवार हल्का पाराहेडा के मौजा पाराहेडा की जमाबन्दी संवत 2070 से 2073 की खाता संख्या 100 (नई) 102 (पुरानी) के कुल सर्वे नम्बर 07 रकबा 0.85 हे0 भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के संयुक्त खातेदारी में स्थित है। जिसमें वादी अपनें हिस्से की भूमि पर कृषि कार्य करता आ रहा है।

–: वादी

(2) आया प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने वाद दायर करने के 8 रोज पूर्व वृद्धावस्था पैंशन का कहकर तहसील कार्यालय में ले जाकर वादी के सम्पूर्ण हिस्से की भूमि का पंजीयन प्रतिवादीगण ने अपने नाम करवा लिया है।

–: वादी

(3) आया वादी के अपने हिस्से की भूमि का प्रतिवादीगण ने धोखे से पंजीयन करवा लिया है, परन्तु क़ब्जा आज भी वादी का है, इसलिये वादी स्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज किये जाने वाले नामान्तरकरण को निरस्त कर वादी पुनः खातेदार घोषित होने का पात्र है।

–: वादी

(4) आया वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि है। राजस्व कर्मचारियों की गलती से उक्त खाते की भूमि में वादी का नाम दर्ज हुआ है। जिसे हटाने के लिये वादी ने अपनी स्वेच्छा सें जरिये पंजीयन हकत्याग कर दिया है। इसलिये वादी खातेदारी घोषणा का पात्र नहीं है।

–: प्रतिवादीगण

वादी की साक्ष्य के रूप में वादी के वारिसान लाला पिता कचरू का शपथ–पत्र पेश होकर प्रतिवादी अभिभाषक द्वारा जिरह की गई। प्रतिवादीगण की साक्ष्य के रूप मे प्रतिवादी गोतम पुत्री कुरिया एवं शंकर पिता सोमा व अन्य गवाहान रमेश पिता शंकर, कुरिया पिता हलिया के शपथ–पत्र पेश होकर वादी अभिभाषक द्वारा जिरह की गई। ततपश्चात् पत्रावली बहस हेतु नियत की जाकर बकुलाय की बहस सुनी गई। प्रकरण में कायम की गई तनकियात् निम्नानुसार निर्णित की जाती हैः–

उपखण्ड अधिकारी
गढी, जिला बांसवाड़ा

तनकी संख्या 01 को सिद्ध करने का भार वादी का था, वादी द्वारा जमाबन्दी संवत 2070 से 2073 प्रदर्श–1 प्रस्तुत की गई है। किन्तु वादी यह सिद्ध करने में असमर्थ रहा की वादी अपने

हिस्से की भूमि पर कृषि कार्य करता आ रहा है। अतः उक्त तनकी आंशिकरूप से वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 02 को सिद्ध करने का भार वादी का था, वादी यह सिद्ध करने में असमर्थ रहा की 8 रोज पूर्व वृद्धावस्था पैंशन का कहकर तहसील कार्यालय में ले जाकर वादी के सम्पूर्ण हिस्से की भूमि का पंजीयन प्रतिवादीगण ने अपने नाम करवा लिया है अतः उक्त तनकी वादी के विरूद्ध निर्णिकी जाती है।

तनकी संख्या 03 को सिद्ध करने का भार वादी का था, वादी यह सिद्ध करने में असमर्थ रहा की प्रतिवादीगण ने धोखे से पंजीयन करवा लिया है जबकि कब्जा आज भी वादी का है। अतः उक्त तनकी वादी के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 04 को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण का था, प्रतिवादी संख्या 01 व 02 द्वारा वादी की जिरह में यह सिद्ध किया है कि वादग्रस्त भूमि में वादी का नाम गलती से चढा है। तथा उक्त भूमि उनके कब्जे काश्त की भूमि है। अतः उक्त तनकी प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के पक्ष में निर्णित की जाती है।

प्रकरण में बकुलाय की बहस पर मनन् एवं वादी द्वारा प्रस्तुत वाद के संलग्न जमाबंदी संवत 2070 से 2073, वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 01 के पक्ष में किये गये हकत्याग पंजीयन के दस्तावेज एवं तहसीलदार, गढ़ी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहूँचा हैं कि पटवार हल्का पाराहेड़ा के मौजा पाराहेड़ा की जमाबन्दी संवत 2070–73 के खाता संख्या 100 (नया) 102 (पुराना) के सर्वे नम्बर 368 रकबा 0.02 हे0, सर्वे नम्बर 369 रकबा 0.14 हे0, सर्वे नम्बर 2077 रकबा 0.03 हे0, सर्वे नम्बर 2359 रकबा 0.06 हे0, सर्वे नम्बर 2363 रकबा 0.48 हे0, सर्वे नम्बर 3804 रकबा 0.07 हे0, सर्वे नम्बर 4996/366 रकबा 0.05 हे0, कुल किता 07 रकबा 0.85 हे0 भूमि प्रतिवादी संख्या 01 व 02 की है जिसमें वादी नाम गलती से चढ़ा है तथा वादी द्वारा अपनी सहमती से प्रतिवादी संख्या 01 के हक में हकत्याग किया है।

अतः वादी का वाद अस्वीकार कर वादी विरूद्ध निर्णित किया जाता है।

(अंजु शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बांसवाड़ा

आदेश

वादी का वाद अस्विकार कर वादी विरूद्ध निर्णित किया जाकर इस आशय की डिक्री पृथक से जारी की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 25.6.2024 को जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बांसवाड़ा

25.6.24 पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक उपस्थित। अभिभाषक की बहस सुनी गई। वादी की ओर से प्रस्तुत वाद का अवलोकन एवं अभिभाषक की बहस पर मनन किया जाकर प्रकरण में निर्णय। हस्ताक्षर पृथक से जारी कर पत्रावली फैसल शुमार कर दाखिल दफ्तर की जावे।

ह/0

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बांसवाड़ा